न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–91/2023

रंजना कुमारी उर्फ रंजना गुप्ता..वादिनी

बनाम

सुनील महतो एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.02.2024	वादिनी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। वादिनी की ओर से आज एक आवेदन अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत वाद वादिनी ने वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वत्व, अधिकार एवं कब्जें की सम्पूष्टि हेतु दाखिल किया है। वादिनी की ओर से दिनांक 06.02.2024 को अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन दाखिल किया गया है तथा दिनांक 30.11.2023 को स्थानीय जॉँच हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा नजारत से सम्मन एवं निबंधित डाक द्वारा सम्मन जा चुका है लेकिन प्रतिवादीगण वाद की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी जानबुझकर वाद में उपस्थित नही हो रहे है तथा वादिनी के महिला होने तथा बाहर रहने का फायदा उठाकर विवादित भूमि पर कब्जा करने की नीयत से ताजबरदस्ती मिट्टी गिरवा रहे है। जिसका कई स्टील फोटोगप्रफ्स भी न्यायालय में दाखिल किया गया है। वादिनी की ओर से वाद में दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई होने तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनाये रखना वाद के उचित निष्पादन एवं न्याय निर्णय हेतु अति आवश्यक है अन्यथा वादिनी न्याय से वंचित हो जायेगी तथा वाद का उद्देश्य विफल हो जायेगा। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 03.11.2023 को प्रतिवादीगणों पर नजारज से सम्मन जा चुका है तथा दिनांक 03.01.2024 को प्रतिवादीगणों पर निबंधित डाक द्वारा सम्मन जा चुका है परंतु प्रस्तुत वाद में आज दिनांक तक प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये है। वादिनी की ओर से वादग्रस्त भूमि पर मिट्टी भरवाने के अदद 05 फोटोग्राफ्स भी दाखिल किये गये है। जिनसे प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर मिट्टी भरवाने का	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–91/2023

रंजना कुमारी उर्फ रंजना गुप्ता..वादिनी

बनाम

सुनील महतो एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 19.02.2024	कार्य कर रहे है। वादग्रस्त भूमि का सरंक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का सरंक्षण न्यायालय करें। वादिनी की ओर से दिनांक 06.02.2024 को प्रतिवादीगणों के विरूद्ध निषेधाज्ञा आवेदन भी दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है। अतः न्यायहित में वादिनी के आवेदन अंतर्गत धारा 151 दिनांक 19.02.2024 को स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगणों की उपस्थिति एवं उभय पक्षों को निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई तक यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित थाना को आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें। आगामी दिनांक 11.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	